

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर

क्रमांक-जिशिअ/प्राशि./आरटीई.-मान्यता/2022-23/1447

दिनांक- 22/4/22

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में आर.टी.ई. के अनुसार नियम (4) के नियम 84 के तहत आरएसवी. उ.मा.वि. जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर को आदेश क्रमांक 865 दिनांक 10.12.2012 के तहत आर.टी.ई. की मान्यता जारी की गई। उक्त मान्यता में कक्षा 1 से 8 तक अंकित किया गया जबकि वास्तव में विद्यालय को कक्षा 1 से 8 तक की आर.टी.ई. की मान्यता की जानी थी। अतः उक्त मान्यता कक्षा 1 से 8 बढ़ा जावे। उक्त मान्यता आर.टी.ई. की रथाई मान्यता है।

3566+

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर

क्रमांक-जिशिअ/प्राशि./आरटीई.-मान्यता/2022-23/1447

दिनांक- 22/4/22

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. श्रीमान् निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् उप निदेशक आर.टी.ई.प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. कार्यालय पंजिका

3566+

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय
प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर